आचार संहिता

ईमानदारी और नैतिक आचरण

BUILDING TRUST

आचार संहिता

प्रिय मित्रो

ईमानदारी एवं नैतिक आचरण हमेशा से ही सिका संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। 1970 के दशक के सिका दर्शन-शास्त्र और नीतियों के पिछले संस्करण में पहले ही कहा गया है कि "हम अपने काम में उच्च नैतिक मानकों का प्रयोग करते हैं।" आप सभी सिका के "8 नियम" से परिचित हैं, जो सभी कंपनियो में 2002 में बनाए गए थे ।

नैतिक आचरण उन आधारशिलाओं में से एक आधारशिला है जिस पर सिका की बेहतरीन प्रतिष्ठा टिकी हुई है । हमारे ग्राहक इस पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे अन्य हितधारक भी, विशेषकर हमारे शेयरधारक तथा सिका के लिए काम करनेवाले हमारे सभी कर्मचारी भी इस पर भरोसा करते हैं। इसलिए इन नियमों का पालन करने के मामले में बातचीत या व्याख्या करने की कोई गंजायश नहीं है।

इसलिए सिका "आचरण संहिता" नामक नवीनतम संस्करण वर्षों से सिका में कड़ाई से पालान किए गए सिद्धांतों और नियमो का विकास है। सिका इस परंपरा को जारी रखना तथा अपनी उच्च नैतिक संस्कृति को मजबूत बनाना चाहती है। यह नई आचार संहिता सीधे ही सिका के मूल्यों और सिध्दांतों से जुड़ी है।

सिका के लिए काम करने वाले सभी लोगों का निजी दायित्व है कि इस आचार संहिता का पालन करें, चाहे वो कहीं भी काम करते हों तथा उनके कार्य कोई भी हों। हममें से प्रत्येक की निजी इमानदारी का महत्तव होता है तथा इसी आधार पर ये नियम बनाए जाते हैं।

अपने दैनिक कार्य में इस आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करने तथा सिका की सफलता की कहानी जारी रखने में सहायता करने के लिए धन्यवाद।

डॉ. पाल हैल्ग
अध्यक्ष

जेन जेनिश
सी.ई.ओ.

बार, अक्तूबर, २०१३

ईमानदारी एंव नैतिक आचरण

हम कानून के अनुसार काम करते हैं

हम ईमानदारी से समझौता नहीं करते हैं

हम अपने काम में उच्च नैतिक मानकों का प्रयोग करते हैं

हम इन सिद्धांतो का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

इस आचार सहिंता का अनुपालन सिका के लिए काम करने वाले सभी लोगों का निजी दायित्व है।

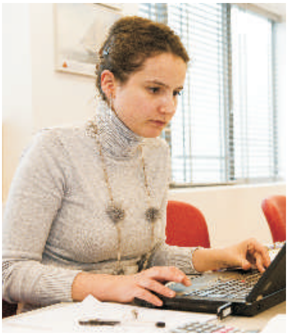

1. कानून का पालन

- हमारे व्यवसाय पर लागू सभी कानूनों और विनियमों का कड़ाई से पालन करें।
- इस आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें चाहे यह लागू कानूनों से कड़ी ही क्यों न हों।

लागू कानूनों और विनियमों का पूरी तरह से पालन हमारी सभी गतिविधियों की रूपरेखा है। इसके अलावा यह आचार संहिता उन नियमों को परिभाषित करती है जो लाग कानूनों से अधिक कड़े हो सकते हैं। इसके अलावा, आंतरिक विनियम मौजूद हैं जिनका पालन अवश्य किया जाना चाहिए।

2. रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार की मनाही

- किसी भी प्रकार की सक्रिय या निष्क्रिय रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार से बचें।
- किसी भी अनुचित लाभ (पेशकश, परमिट, आदेश, परियोजना प्रदान करना आदी) के लिए किसी भी प्रकार की भेंट (नकद, यात्रा, उपहार आदि) की पेशकश न करें या स्वीकार न करें।

रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार कई रुपों में हो सकते हैं। यह नकदी हो सकती है, लेकिन किसी अन्य प्रकार की भेंट (यात्राएं, किसी प्रकार के बहुत सारे उपहार) भी हो सकती है। यह हमेशा इस आशय से दिए जाते है कि भेंट देने वाले व्यक्ति या संस्था के लिए कोई अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे लेने वाली व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित किया जाए। इससे कोई फरक नहीं पडता की आप भेंट की पेशकश करते हैं या स्वीकार करते हैं। इससे भी कोई सरोकार नहीं है कि सामने वाला पक्ष (सरकार, कंपनी या निजी व्यक्ति) कौन सा है। किसी अनुचित लाभ का लक्ष्य न रखने वाले किसी साधारण उपहार और सत्कार (खण्ड 3 देखें) के अलावा, इससे कोई सरोकार नहीं है कि भेंट या लाभ कितना बड़ा या छोटा है। यह फिर भी रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार होता है जो कड़े रूप से मना है।

3. उपहार, सत्कार और दान

- केवल वही उपहार और सत्कार दें अथवा स्वीकारें जो वैध, औचित्यपूर्ण हों तथा स्थानीय सिका कंपनी के लिखित नियमों के अनुपालन में हों।
- प्रायोजन और अंशदान स्थानीय सिका कंपनी के लिखित नियमों के अनुपालन में दिए जा सकते हैं।
- समूह प्रबंधन द्वारा स्वीकृत न किए जाने तक सिका किसी भी राजनीतिक दल या राजनैतिक मुद्दे के लिए अंशदान नहीं करती है।

अधिकतर सभी देशों और बाजारों में मुनासिब भेंट और सत्कार की चीजें (भोजन, खेलकूद या सांस्कृतिक समारोह आदि) व्यवसाय के अभिन्न अंग है। प्राप्त करने वाले पक्ष के निणर्य को प्रभावित करने का आशय रखने पर वे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बन जाते है। सरकारी अधिकारियों के लिए भ्रमण या कई दिन चलने वाले समारोह तथा उपहार और सत्कार विशेष रुप से नाजुक मामले होते हैं। सभी कंपनीयां यह स्पष्ट उल्लेख करने के लिए कॉर्पोरेट मॉडल नियमों पर आधारित लिखित नियमों को अवश्य लागू करें कि कौन सी भेंट और सत्कार तथा कौन से प्रायोजन और अंशदान की इस आचार सहिंता की रूपरेखा में अनुमति है। ये नियम इसमें शामिल राशि के आधार पर प्राधिकरण के स्तरों की भी व्यवस्था करें। राजनैतिक दलों या राजनैतिक मुद्दे के लिए अंशदान, समूह प्रबंधन द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने पर दिया जा सकता है।

4. उचित प्रतिस्पर्धा

- बाजार में ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं दोनों के लिए कार्य-निष्पादन उन्मुखी और निष्पक्ष कार्य करें।
- प्रतिस्पर्धियों से किसी भी प्रकार की कार्यनीतियों, कीमतों, बाजारों, ग्राहकों, उत्पादों, उत्पादन या बाजार-संवेदी अन्य पहलूओं पर चर्चा न करें, सहमत न हों अथवा सहयोग न करें।
- सिका के ग्राहकों से उनकी पुन:बिक्री कीमतों पर सहमत न हों।
- किसी भी संवेदनशील दायित्व (जैसे विशिष्टता, गैर प्रतिस्पर्धा, संयुक्त उद्यम) की निगमित कानूनी या स्थानीय कानूनी सलाहकार से पूर्व में जांच करा लें।
- बाजार-प्रमुख की हैसियत का दुरुपयोग न करें।

हम उत्पादक संघ और एकाधिकार व्यापार-रोधक लागू कानूनों के पूर्ण पालन की अपेक्षा करते हैं। यह विशेष रूप से प्रतिस्पर्धियों के साथ कीमत-या अन्य बाजार-संवेदी पहलुओं पर किसी भी प्रकार की चर्चा या करार से संबंधित है। अनौपचारिक सभाओं, सम्मेलनों, व्यापार प्रदर्शनियों और व्यापार

एसोसिएशनों की बैठकों में अथवा संभावित अधिग्रहण अवसरों वाली चर्चाओं में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धियों के साथ संपर्क की अनुमेय सीमा तक उनका सैध्दांतिक रुप से सिका के वरिष्ठ प्रबंधन के किसी सदस्य द्वारा अवश्य प्रबंधन किया जाना चाहिए।

5. हित के टकराव से बचें

- ऐसी किसी भी स्थिति से बचें जो आपके निजी और पारिवारिक हितों तथा सिका के हितों के बीच टकराव पैदा कर सकती है। अपने वरिष्ठ को ऐसे किसी भी टकराव के बारे में पूरी जानकारी दें।
- सिका के प्रतिस्पर्धा रखने वाली किसी भी गतविधि से बचें।
- सिका के किसी भी व्यापारीक अवसर का प्रयोग अपने स्वयं के निजी लाभ के लिए न करें।

सिका की ओर से लिए गए निणर्य निजी या पारिवारिक हितों द्वारा कतई प्रभावित नहीं होने चाहिए। सिका से प्रतिस्पर्धा रखने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमती नहीं है।

6. भेदिया व्यापार की मनाही है

- सिका के शेयरों, विकल्पों या बॉडों में व्यापार करने के लिए गोपनिय कीमत-संवेदी डेटा प्रयोग न करें।
- इसकी जानकारी तीसरे पक्षों को न दें।
- सिका के व्यापारिक साझेदारों के शेयरों, विकल्पों या बॉड़ों मे व्यापार करने के लिए गोपनीय कीमत-संवेदी डेटा का प्रयोग न करें अथवा इसकी जानकारी तीसरे पक्षों को न दें।

भेदिया जानकारी पर आधारित व्यापार अनुचित लाभ लेने के लिए विशेष जानकारी का प्रयोग करता है। स्विटजरलैण्ड और अन्य बहुत-से देशों में यह अवैध है। भेदिया व्यापार मुख्य रूप से सिका के शेयरों के व्यापार से संबंधित है। लेकिन इसकी भी अनुमति नहीं है कि सिका के व्यापारिक साझेदारों के शेयरों में व्यापार करने के लिए भीतरी जानकारी का प्रोयेाग किया जाए। सिका के भेदिया व्यापार नियम विशेष रूप से व्यापार मनाही अवधियों के संबंध में अतिरिक्त विशेष मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

7. गोपनीयता बनाए रखें - डेटा सुरक्षा

- सिका के संबंध में व्यापारिक, तकनीकी और वित्तीय गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करें।
- सिका के भीतर, गोपनीय सूचना केवल जानने की आवश्यक्ता के आधार पर ही बताएं।
- किसी भी तीसरे पक्ष को गोपनीय सूचना तब तक न दें जब तक कि व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो और यह केवल गोपनीयता के करार पर हस्ताक्षर करके ही किया जाए।
- तीसरे पक्षों की गोपनीय जानकारी का सम्मान करें।
- डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन करें।

सिका की जानकारी की सुरक्षा करना सबसे अधिक जरूरी है। जबकी सिका का इरादा व्यापार के लिए आवश्यक जानकारी के प्रवाह में बाधा डालना नहीं है, फिर भी सिका की जानकारी को गलत उपयोग से बचाना बेहद जरूरी है। हम तीसरे पक्षों की गोपनीय जानकारी का समान रूप से सम्मान करते हैं।

8. सिका की सम्पत्तियों की सुरक्षा करें

- सिका की सम्पत्तियों (उपकरण, कम्पयूटर, कार अदि) का सावधानी से तथा अपने वरिष्ठ द्वारा किसी भी प्रकार से स्वीकृति न दिए जाने तक केवल व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए उपयोग करें।
- उन्हें किसी भी प्रकार के दुरुपयोग (धोखाधड़ी, चोरी, गुम होना) से बचाएं।

सिका की सम्पतियों का उपयोग केवल व्यावासय के उद्देश्यों के लिए ही किया जाए तथा उनकी सावधानी से साज-संभाल की जाए।

9. काम की उचित दशाएं, उत्पीड़न रहित भेदभाव रहित

- श्रम और रोजगार कानुनों का पूर्ण रूप से पालन करें।
- अपने अधीनस्थों और सहकर्मियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें और उनका सम्मान करें।
- प्रजाति, राष्ट्रीयता, लैंगिक-रुझान, लिंग, आयु, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करें।

एक-दुसरे के साथ निष्पक्ष और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना सिका की भावना का अभिन्न अंग है।

10. स्वास्थय एवं सुरक्षा, पर्यावरण

- स्वास्थय एवं सुरक्षा कानुनों तथा संगत आंतरिक दिशानिर्देशों का पालन करें।
- पर्यावरणीय कानूनों और संगत आंतरिक दिशानिर्देशों का पालन करें।

सिका का विशेष दायित्व है कि सामान्य रूप से हमारे कर्मचारियों, ग्राहकों, जनता और पर्यावरण के हित में स्वास्थ्य एंव सुरुक्षा के साथ-साथ पर्यावरणीय कानूनों एवं आंतरिक दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करे।

11. व्यावसायिक साझेदार

- आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं, एजेन्टों और वितरकों से इन नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
- विशेष रूप से उपहारों और सत्कार के मामले में ग्राहकों के नियमों का पालन करें चाहे वे आचार संहिता से अधिक कड़े हों।

हम आशा करते हैं कि हमें सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने वाले हमारे व्यावसायिक साझेदार इन्हीं नैतिक मूल्यों को अपनाएं। अतिरिक्त जानकारी सिका की आपूर्तिकर्ता आचार संहिता में, उपलब्ध है।

12 चार-आंख सिद्धांत का प्रयोग करें

- सिका की ओर से सभी वचनबद्धताएं केवल सामूहिक हस्ताक्षर और स्थानीय प्राधिकरण नियमों मात्र के अनुरूप ही की जाती हैं ।
- इलैक्ट्रॉनिक संचार में आखों के दुसरे जोड़े से वचनबद्धता की समीक्षा कराकर चार-आंख सिद्धांत सुनिश्चित करें
- जब तक कानून की अपेक्षा न हो, अपने निजी हस्ताक्षर के स्थान पर ठप्पों या निजी मोहरों का उपयोग ना करें।

चार-आंख सिद्धांत जोखिम के उचित प्रबंधन और नैतिक आचरण के लिए सिका का मुख्य सिद्धांत है। आंखों का एक दूसरा सक्षम जोड़ा व्यवसायिक मामलो की अवश्य समीक्षा करे तथा कर्मठ निणर्यकारी प्रक्रिया और विशेष रूप से इस आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करे।

13. इन नियमों का उपेक्षा न करें

- इन नियमों से बचने के लिए तीसरे पक्ष का उपयोग न करें।

इन नियमों से बचने के लिए तीसरे पक्षों (जैसे एजेन्टों, वितरकों, परामर्शदाताओं आदि) को महत्त्वपूर्ण आचरण या व्यापारिक प्रथाएं न सौंपी जाएं।

14. पुर्ण पारदर्शिता बनाए रखें

- संदेह होने पर हमेशा पहले ही पुछ लें।
- किसी भी लेन-देन की उचित रूप से घोषणा करें और खातों में दर्ज करें।
- इन नियमों के साथ संभावित टकरावों के बारे में अपने वरिष्ठ को सुचना दें।
- इन नियमों का उल्लंघन होने पर अपने वरिष्ठ को या समूह प्रबंधन तथा/या कॉर्पोरेट कानून के किसी सदस्य को सुचित करें।
- सूचित करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की जाएगी। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को अनुशासनिक दण्ड भुगतना पड़ेगा ।

संभावित दकरावों और पता लगाए गए उल्लंघनों के बारे में पारदर्शिता से इस आचार संहिता को लागू करने में सहायता निलती है। सभी लेन-देनों को सटीक रूप से दस्तावेजों में दर्ज करने तथा लेखांकन करने के संबंध में भी पारदर्शिता जरुरी है। उल्लंघनों की सूचना अपने वरिष्ठ या कॉर्पोरेट को दी जा सकती है। कथित उल्लंघनों की सावधानीपूर्वक जांच-पडताल की जाएगी तथा, यदि पुष्टि हो जाती है, तो संबंधित व्यक्तियों को अनुशासनिक परिणाम (जहां लागू हो, वहाँ बर्खास्त करने सहित) भुगतने पड़ेंगे जबकि सूचित करने वाले व्यक्तियों की सुरुक्षा की जाएगी।

15 उदाहरण प्रस्तुत करें

- वरिष्ठ होने के नाते उदाहरण द्वारा नेतृत्व करें तथा आचार संहिता का पालन करें।
- अपने दायित्व के दायरे में बिल्कुल भी सहन न करने की नीति लागू करें।
- संभावित टकरांवो से पहले ही निपटने के लिए पारदर्शिता पर जोर दें।

उच्च स्तर से ही मजबूती लाना इस आचार संहिता को जीवंत करने का महत्त्वपूर्ण तत्व है। यह अनिवार्य है कि उदारहण प्रस्तुत किया जाए और बिल्कुल भी सहन न करने की नीति भी लागू की जाए। इसका अर्थ यह भी है कि ऐसा कार्य वातावरण बनाया जाए जहां संभावित टकरावों से खुले रूप से निपटा जाए।

16. पालन सुनिश्चित करें

- सिका में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि इन नियमो को मानें।
- सभी कंपनियों के सभी कर्मचारियों को वर्ष में कम-से-कम एक बार नियमित रूप से इन नियमों की याद दिलाई जाएगी।
- सिका की सभी कंपनियों के महाप्रबंधक (General Managers) प्रत्येक वर्ष अपनी कंपनी में इन नियमों के पालन की पुष्टि करेंगें।
- कॉर्पोरेट कार्य नियमित रूप से प्रशिक्षण और लेखापरीक्षाएं कराएंगे।

इस आचार संहिता पर सिका के सभी कर्मचारियों का ध्यान दिलाया जाता है। जबकि कॉर्पोरेट आवश्यक उपकरण और पद्धतियां प्रदान करेगा, वहीं इस आचार संहिता का पालन लाईन प्रबंधन का सतत दायित्व है। कर्मचारियों का उचित चयन, प्रशिक्षण और निगरानी भी इस संबंध में महत्तवपूर्ण है।

17. अनुभव से सिद्ध नियम: समाचार-पत्र नियम

जहां कोई विशिष्ट नियम न हो या जब आप संदेह में हों, तो साधारण समाचार-पत्र नियम से अपने आचरण की जांच करें:
क्या आप ऐसा उस स्थिति में करेंगे यदि यह आपके स्थानीय समाचार-पत्र के पहले पृष्ठ पर पुरे विवरण के साथ प्रकाशित हो?

जबकि इनमें से बहुत से नियम विशिष्ट हो सकते हैं तथा वास्तविक मामले शामिल नहीं हो सकते हैं, वहीं समाचार-पत्र नियम विश्वभर में समझा जाता है और लागू होता है। यह आचरण के स्वीकार किए जाने योग्य होने या न होने की एक बढ़िया कसौटी प्रदान करता है। कोई संदेह होने पर भी हमेशा पहले ही पूछ लें।

18. प्रश्न । टिप्पणियां

यदि आपको इस आचार संहिता के बारे में कोई प्रश्न या संदेह है, तो पहले ही अपने वरिष्ठ या कॉर्पोरेट से संपर्क कर लें। आप अपने प्रश्न और टिप्पणियां compliance@ch.sika.com पर
भी भेज सकते है।

BUILDING TRUST